



न्यायालय: मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2016/पी.बी.आर./आर / P 4061-PB-16

1. राधेश्याम पुत्र श्री तुलसीराम
2. दिनेश पुत्र श्री तुलसीराम,
3. घनश्याम पुत्र श्री तुलसीराम,
4. अनवर पुत्र घीसा
5. गनी पटेल पुत्र इस्माईल पटेल,
6. जगन्नाथ मृतक द्वारा वारिसान
अ. उमराव एवं ब. भवर सिंह पुत्रगण स्व.
श्री जगन्नाथ
7. सरदार सिंह मृतक द्वारा वारिसान
अ. अकबर पटेल पुत्र सरदार सिंह
8. गीताबाई पति श्यामजी
समस्त निवासीगण-ग्राम सोनवाय तहसील महूँ,
जिला इंदौर (म.प्र.) —प्रार्थीगण

30/11/16
(कार. एच. गोड)

दिनांक 30-11-16 का
श्री का. एच. गोड
का. एच. गोड
30-11-16
50

631
30-11-16

- बनाम**
1. मदनलाल पुत्र श्री छोटू
 2. रामलाल पुत्र श्री लखन
 3. दरियाबबाई पत्नी अर्जुन
 4. जमनाबाई बेबा गणेश
 5. श्यामलाल पुत्र लखनलाल
समस्त निवासीगण-32, आनंद नगर, जिला
इंदौर (म.प्र.) —प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 24/10/2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महूँ जिला इंदौर म.प्र. प्रकरण क्रमांक-26/2014-15 अपील।

21/12/2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4061-पीबीआर/16

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

8-12-2016

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24-10-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26 का उल्लेख किया गया है, परन्तु माह का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस माह में अपील प्रस्तुत की गई है। अतः संदेह का लाभ अनावेदकगण के पक्ष में जाता है। इसके अतिरिक्त उनके समक्ष प्रकरण दो वर्ष से लंबित रहने के कारण तकनीकी आधार पर विलम्ब के बिन्दु पर प्रकरण का निराकरण करना उचित नहीं पाया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील समय-सीमा में मान्य करने में प्रथम दृष्टया वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

Noted

14/12/16

~~15/12/16~~



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष